अनुदान संख्या 36 - प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 36 - DIRECT TAXES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-		8866,80,00	8459,05,10	-407,74,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				357,27,71
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	442,00,00	671,74,00	417,80,22	-253,93,78
पूरक	Supplementary	229,74,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				245,33,41

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2020”	Major Head “2020”				
आय तथा व्यय पर कर संग्रहण	Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	864513.00	828785.29	824774.73	-4010.56
पु.	R.	-35727.71			

(I) "निर्देशन और प्रशासन" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "अनुसंधान, आंकड़े और प्रकाशन" – ₹2060.29 लाख की बचत (₹8159.08 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'आजादी का अमृत महोत्सव और रोजगार मेला' को मनाने से संबंधित कार्यकलापों के लिए वेंडरों से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण विज्ञापन और प्रचार और अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "आसूचना" – ₹717.92 लाख की बचत (₹11922.21 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता और बिलों के लंबित रहने के कारण हुई।

(II) "संग्रह शुल्क – आयकर – आयुक्त और अधिकारी" के अंतर्गत ₹48455.62 लाख की बचत (₹771391.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹319.48 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान की 21 प्रतिशत है।

2. उपर्युक्त बचतें "निर्देशन और प्रशासन – संगठन और प्रबंधन सेवायें" के अंतर्गत लंबित बिलों के निपटान, चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति, आईटी परियोजनाओं के अनुमोदन को अंतिम रूप देने और अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुए ₹11040.09 लाख के अधिक व्यय (₹75176.05 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं।

3. अनुदान के पूंजी खंड में समग्र बचतें (₹25393.78 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त की गईं ₹22974.00 लाख की अनुपूरक मांगों से अधिक थीं और कुल

(I) Under "Direction and Administration" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Research, Statistics and Publication" - saving of ₹2060.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8159.08 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertising and publicity owing to non-receipt of bills from vendors for activities related to celebration of 'Azadi ka Mahotsava and Rojgar mela' and other establishment related expenses.

(B) "Intelligence" - saving of ₹717.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11922.21 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenditure and pendency of bills.

(II) Under "Collection Charges-Income Tax - Commissioners and their offices" - saving of ₹48455.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹771391.70 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(III) Under one head saving of ₹319.48 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under "Direction and Administration - Organisation and Management Services" - excess of ₹11040.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75176.05 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills, medical re-imbursements, finalization of approval of IT projects and other administrative expenses.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹25393.78 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹22974.00 lakhs obtained in

स्वीकृत प्रावधान का 38 प्रतिशत थीं।

December, 2022 and March 2023 and constituted 38 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	28600.00			
पू.	S.	6973.00	15859.00	15179.23	-679.77
पु.	R.	-19714.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	15400.00			
पू.	S.	16001.00	26640.57	26463.00	-177.57
पु.	R.	-4760.43			

(I) दो शीर्षों के तहत ₹3.00 लाख (जिसमें ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान शामिल है) पूरी तरह अप्रयुक्त रहे।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण– आयकर विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण और कार्यालय भवन का निर्माण" के अंतर्गत – ₹28599.00 लाख का मूल प्रावधान ₹6972.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹35571.00 तक बढाया गया। तथापि, क्रय के कुछ प्रस्तावों को अनुमति नहीं मिलने, वर्तमान परियोजनाओं के पूरा नहीं होने और संपादनकर्ता अभिकरणों द्वारा कम निधियों का उपयोग करने से ₹20391.77 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Acquisition of Land & Construction of office Building for Income Tax Department" - the original provision of ₹28599.00 lakhs was augmented to ₹35571.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6972.00 lakhs. However, there was a saving of ₹20391.77 lakhs (including supplementary grant) - due to non-approval of a few proposals for purchase, non-completion of existing

projects and utilization of less funds by the executing agencies.

(III) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – आयकर कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – भूमि का अधिग्रहण और आयकर विभाग के लिए आवासीय भवनों का निर्माण" के अंतर्गत – ₹15399.00 लाख का मूल प्रावधान ₹16001.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹31400.00 लाख तक बढाया गया, जो आवासीय संपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के कुछ प्रस्ताव अनुमोदित नहीं होने और संपादनकर्ता अभिकरणों द्वारा कम निधियों का उपयोग करने के कारण ₹4937.00 लाख तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Land & Construction of Residential building for Income Tax Department" - the original provision of ₹15399.00 lakhs was augmented to ₹31400.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹16001.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹4937.00 lakhs - due to non-approval of a few proposals for acquisition/construction of residential properties and utilization of less funds by the executing agencies.